

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राज0)

क्रमांक: 02

दिनांक:-05.01.2023

आदेश

मैं शैलेश जड़िया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपटित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता हूँ कि कॉलम संख्या-3 में अंकित अवकाशों के दिन भरतपुर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई हेतु माह **जनवरी 2023 से मार्च 2023** की अवधि के लिए कॉलम संख्या 2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं	नाम अधिकारी एवं पदनाम	दिनांक	मोबाइल नं0
1	श्री आदित्य वशिष्ठ, जेएम संख्या-1 भरतपुर	08.01.2023 (रविवार) 25.02.2023 (चतुर्थ शनिवार) 26.02.2023 (रविवार)	9509336426
2	श्रीमती सुमन मीना, जेएम संख्या-4 भरतपुर	14.01.2023 (द्वितीय शनिवार) 15.01.2023 (रविवार) 25.03.2023 (चतुर्थ शनिवार) 26.03.2023 (रविवार)	8209778143
3	श्रीमती यशस्वी शर्मा, जेएम संख्या-2 भरतपुर	22.01.2023 (रविवार) 11.03.2023 (द्वितीय शनिवार) 12.03.2023 (रविवार)	9351959024
4	श्री रोहित सक्सेना, एसीजेएम रेलवे भरतपुर	26.01.2023 (गणतंत्र दिवस) 28.01.2023 (चतुर्थ शनिवार) 29.01.2023 (रविवार)	9414967750
5	मो. आजंम, एसीजेएम कुम्हेर	05.03.2023 (रविवार) 06.03.2023 (होली अवकाश) 07.03.2023 (होली अवकाश)	9887492493
6	श्री दुडाराम खोकर एसीजेएम संख्या-3, भरतपुर	05.02.2023 (रविवार) 19.03.2023 (रविवार)	9928664451
7	श्री अंकुर गुप्ता, एसीजेएम संख्या-4 भरतपुर	11.02.2023 (द्वितीय शनिवार) 12.02.2023 (रविवार) 19.02.2023 (रविवार)	9414253571
8	श्री कानाराम मीना एसीजेएम पीसीपीएनडीटी एक्ट केसेज, भरतपुर	18.02.2023 (शिवरात्रि) 23.03.2023 (चेटीचंड) 30.03.2023 (रामनवमी)	9460380348

नोट-

1. उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से भरतपुर पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के भरतपुर प्रवास पर उनके आगमन, प्रवास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 06/पीआई/ 2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल ड्यूटी भी उक्त अधिकारी करेंगे।

2. तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
3. किसी भी अवकाश के **अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात** के कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में पूर्व अवकाश के दिन जिस अधिकारी की रिमाण्ड आदि सभी कार्यों की ड्यूटी थी, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्वादेश की निरंतरता में रिमाण्ड आदि सभी कार्यों हेतु अधिकृत होगा।
4. यदि किसी मुख्यालय पर सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी उपलब्ध हों तो वे उक्त रिमाण्ड आदि का कार्य घर से करने को अधिकृत होंगे।
5. सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से **दोपहर 1.00 पीएम से 3.00 पीएम तक** अपने न्यायालय में **आवश्यक स्टाफ** के साथ उपस्थित रहेंगे।

(शैलेश जड़िया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

क्रमांक: 48-67

दिनांक:-05.01.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिए मेल)-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर
2. पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. समस्त न्यायिक/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर न्याय क्षेत्र
4. सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर
5. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, भरतपुर/नगर/बयाना/डीग/कुम्हेर/नदबई/
भुसावर/वैर/कामां/उच्चैन/रूपवास
6. सिटी कन्ट्रोल, भरतपुर
7. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय भरतपुर (मैसेज हेतु)
8. प्रोटोकॉल कम प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय भरतपुर
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड
10. अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर
11. आदेश/संबन्धित पत्रावली

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
भरतपुर